न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 01/2023

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अनवान : राणसिंह वगैरा बनाम विमलादेवी वगैरा

वकील प्रार्थी :– श्री रामजीवन विश्नोई

वकील विप्रार्थी :– श्री जगदीश पोटलिया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

सहायक कलक्टर चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 26.07.2024

वकील प्रार्थी (जो मूल वाद में प्रतिवादी सं.1) ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया। जिसकी प्रति विप्रार्थी वकील (जो मूल वाद में वादीगण वकील) को दिलाई गई। विप्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब किया गया ।

उपस्थिति अधिवक्ताओं की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अ. का वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बावत न्यायालय हाजा में पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है। घोषणा के वाद में खातेदारी आवश्यक है लेकिन वादी [illegible] नहीं है, जिससे दस्तावेज के अनुसार [illegible] *Casue of Action* पैदा ही नहीं होता है । [illegible] वादीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 पेश [illegible] किया है। वाद में वादीगण की खातेदारी साबित नहीं है जिसमें 188 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:19:38 IST
Reason: SelfAttested

वाद चल नही सकता है इसलिए निवदेन है कि ***Casue of Action*** पैदा नही होने से वादीगण का वाद खारीज किया जावे।

विप्रार्थी वकील (जो मूल वाद में वादीगण वकील) ने अपनी बहस मे कथन किया कि वादीगण वाद घोषणा का न होकर स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया है, जिस वादग्रस्त आराजी को लेकर वाद पेश किया गया है उससे प्रतिवादी का कोई लेना देना नहीं है, और न ही प्रतिवादी का कोई हित प्रभावित होता है, प्रतिवादी मात्र रोढ़ा पडौसी है। उक्त वाद को पेश करते समय मात्र टंकणीय भूल से वादीगण की वल्दियत मे तेजमालसिंह की जगह भंवरसिंह अंकन हुआ, जो मात्र टंकणीय एवं मानवीय भूल रही है। वादीगण को जैसे ही इसका ज्ञान हुआ तो वादीगण ने इसमें संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 श्रीमान के न्यायालय में पेश कर दिया है, जिसके आधार पर उक्त भूल को सुधारा जा सकता है। विधि का यह मत है कि कोई भी वाद मेरिट पर तय होकर निर्णित होना चाहिए, उक्त वाद मे प्रतिवादी का कोई हित प्रभावित नहीं हो रहा है, इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के आधार पर यदि वाद खारीज किया जाता है तो मात्र और मात्र वादीगण का हित प्रभावित होगा, टंकणीय भूल सदभाव पूर्ण भूल है इसलिए निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का खारीज किया जावे।

विद्धान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा पेश वाद में वादीगण की वल्दियत रेकर्ड अनुसार भिन्न है ऐसी स्थिति मे वाद में वादीगण की खातेदारी साबित नहीं है जिससे 188 रा.का.अ. वारते स्थायी निषेधाज्ञा का वाद चल नहीं सकता है इसलिए ***Casue of Action*** पैदा नही होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारीज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को मेरे द्वारा सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:19:38 IST
Reason: SelfAttested

(सूरजभान विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन